भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3710

जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

टीईवी रिपोर्टों के आधार पर परियोजना वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन

†3710.श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक ने आरबीआई के धोखाधड़ी संबंधी मास्टर निर्देश और आरबीआई परियोजना वित्तीय निर्देश, 2025 द्वारा निष्पक्ष व्यवहार्यता आकलन अनिवार्य बनाए जाने के बावजूद परियोजना वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन के मामलों में स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सलाहकारों के बजाय आंतरिक रूप से या सहायक संस्थाओं के माध्यम से तैयार की गई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) रिपोर्टों पर विश्वास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋणदाता बैंक द्वारा मान्यताओं, ऋण-सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर), ब्रेक-ईवन और संवेदनशीलता विश्लेषण को कवर करने वाली टीईवी रिपोर्टों की तैयारी से हितों का टकराव उत्पन्न होता है, क्योंकि वही संस्थाएं बाद में उक्त ऋणों का मूल्यांकन और उन्हें स्वीकृति प्रदान करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बैंकों में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) के उक्त गैर-स्वतंत्र व्यवहार्यता अध्ययनों की भूमिका की जांच की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए टीईवी संबंधी आवश्यकताओं में बड़े पैमाने पर ढील दी गई थी और यदि हां, तो बैंक-वार निर्धारित जवाबदेही का ब्यौरा क्या है; और

(च) स्वतंत्र व्यवहार्यता आकलन को अनिवार्य बनाने और मूल्यांकन तथा ऋण संबंधी कृत्यों के बीच सख्त पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025 — जो 28 नवंबर, 2025 के अंतर्गत अब भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में शामिल किया गया है — केवल पीपीपी मोड के अंतर्गत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की नियत तिथि में बदलाव के मामलों में ही तकनीकी-आर्थिक अर्थक्षमता (टीईवी) अध्ययन शुरु करना निर्धारित करता है, जहां सभी ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

टीईवी परामर्शदाताओं की नियुक्ति संबंधित बैंकों की बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अनुसार की जाती है।

इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों (पीएसबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, टीईवी मूल्यांकन और पुनरीक्षण ऋण मूल्यांकन/प्रोसेसिंग टीम से स्वतंत्र होते हैं और दोनों कार्य बैंकों के आंतरिक ऋण अभिशासन फ्रेमवर्क के अनुरूप परिभाषित भूमिकाओं के साथ अलग-अलग कार्य करते हैं।

यह भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएं) निर्देश, 2025, 28 नवम्बर, 2025 के अनुपालन में है।

(ङ): ग्रीनफील्ड परियोजनाओं सहित किसी अन्य परियोजना के लिए टीईवी अध्ययन बैंक द्वारा उनकी बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(च): सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्वतंत्र व्यवहार्यता मूल्यांकन और परियोजना मूल्यांकन और उधार कार्यों के बीच पृथक्करण पहले से ही मौजूदा ढांचे के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।
